भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1454

(दिनांक 31.07.2024 को उत्तर के लिए)

आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच

1454. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध की जा रही विभागीय जांचों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ख) उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) एवं (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान आईएएस/आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध शुरू की गई विभागीय कार्यवाहियों की कुल संख्या निम्नानुसार हैः

आईएएसः 142 (राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-I में)

आईपीएसः 213 (राज्य-वार विवरण अनुलग्नक- II में)

आईएएस अधिकारियों के संबंध में, 106 मामलों में विभागीय कार्यवाही चल रही है, 33 मामलों में विभागीय कार्यवाही पूरी हो चुकी है तथा शेष 3 मामलों में विभागीय कार्यवाही विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगित हैं।

अनुलग्नक-I

31.07.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1454 के भाग (क) का उत्तर- पिछले 5 वर्षों के दौरान आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध शुरू की गई विभागीय कार्यवाही के मामलों का राज्य-वार विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	असम-मेघालय	3
3.	बिहार	6
4.	छत्तीसगढ़	0
5.	गुजरात	7
6.	हरियाणा	5
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	झारखंड	2
9.	कर्नाटक	8
10.	केरल	1
11.	मध्य प्रदेश	27
12.	महाराष्ट्र	12
13.	मणिपुर	2
14.	नागालैंड	2
15.	ओडिशा	10
16.	पंजाब	2
17.	राजस्थान	4
18.	सिक्किम	1
19.	तमिलनाडु	1
20.	तेलंगाना	0
21.	त्रिपुरा	5
22.	उत्तर प्रदेश	20
23.	उत्तराखंड	2
24.	पश्चिम बंगाल	3
25.	एजीएमयूटी (पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर कैडर सहित)	15
	कुल	142

अनुलग्नक- II

<u>31.07.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1454 के भाग (क) का उत्तर- पिछले 5 वर्षों के दौरान आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध शुरू की गई विभागीय कार्यवाही के मामलों का राज्य-वार विवरण</u>

क्रम सं.	राज्य का नाम	आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	असम-मेघालय	8
3.	बिहार	16
4.	छत्तीसगढ़	5
5.	गुजरात	12
6.	हरियाणा	4
7.	हिमाचल प्रदेश	3
8.	झारखंड	2
9.	कर्नाटक	4
10.	केरल	6
11.	मध्य प्रदेश	14
12.	महाराष्ट्र	10
13.	मणिपुर	4
14.	नागालैंड	6
15.	ओडिशा	9
16.	पंजाब	1
17.	राजस्थान	10
18.	सिक्किम	2
19.	तमिलनाडु	23
20.	तेलंगाना	4
21.	त्रिपुरा	2
22.	उत्तर प्रदेश	44
23.	पश्चिम बंगाल	12
24.	एजीएमयूटी (पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर कैडर सहित)	7
	कुल	213

*****